न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 184 / 2024	25.06.2024	30.09.2024

1–मामूरा पुत्र जोरमल जाति मेव निवासी ग्राम थौंस तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1–जाकिर पुत्र हनीफ जाति मेंव,
2–शौकीन पुत्र हनीफ जाति मेंव, निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)
3–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री दिनेश यादव –वकील प्रार्थी

02. श्री विवेक कुमार शर्मा –वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली जाकिर वगै0 बनाम मामूरा को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अप्रार्थी जाकिर व शौकीन द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आराजी खसरा न0 475 रकबा 0.48 है0, 476 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम थौंस तहसील तिजारा की बाबत मुकदमा बअनुवान जाकिर वगै0 बनाम मामूरा राजस्व वाद संख्या 150 / 2021 पेश किया गया है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 28.04.2022 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की जा चूकि है। पूर्व में तहसीलदार द्वारा मौके के अनुसार सही प्रकार से कुरेजात रिपोर्ट पेश की गयी लेकिन तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर वादी जाकिर द्वारा पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर एतराज पेश किये गये जो प्रार्थना पत्र दिनाक 23.01.2024 को बेजा तौर से स्वीकार किया जाकर पुनः

मुन्तकिल किये जाने

कुरेजात रिपोर्ट तलब फरमायी गयी है। उक्त प्रकरण में विगत तारीख पेशी 18.06.2024 नियत थी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 प्रभावशाली व्यक्ति है, जिन्होने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है। तथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 से साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है। वाद में पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के कहे अनुसार जल्दी–जल्दी तारीख पेशी नियत कर रहे है। प्रकरण में विगत तारीख पेशी दिनाक 01.04.2024 उसके पश्चात तारीख पेशी 16.04.2024 इसके पश्चात तारीख पेशी दिनाक 24.05.2024 नियत की गयी। दिनाक 24.05.2024 के पश्चात दिनाक 18.04.2024 नियत की गयी। वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 ने भी एलानिया तौर पर धमकी दी है, कि पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले तथा हमने उनसे बातचीत करली है, और उन्होने तहसीलदार को हमारे कहे अनुसार कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है, तथा तहसीलदार शीध्र वादीगण के कहे अनुसार कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश करेगे और उसके अनुसार अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित हो जावेगी। पीठासीन अधिकारी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है, कि उन पर वादी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 का दबाव है। जिससे प्रार्थी को यह अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी उसके खिलाफ निर्णय पारित करेगे। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 150/2021 बअनुवान जाकिर वगै0 बनाम मामूरा को दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में तहत अदालत द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दोनो पक्षकारान की सहमति से पारित की गयी है, तथा तहसीलदार तिजारा द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट दिनाक 29.09.2023 को न्यायालय में पेश की गयी थी। तहसीलदार तिजारा ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट मामूरा व उसके भाई रहीस की पत्नी सरपंच के दबाव में आकर मिलीभगत कर पेश की थी। जिस पर जाकिर वगै0 द्वारा विधि सम्मत प्रार्थना पत्र कुर्रे कायमी ऐंतराज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में पेश किया गया। मामूरा के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र ऐतराज की नकल दी गयी एवं मामूरा के अधिवक्ता ने अदालत में उपस्थित होकर अपने पक्ष को रखते हुये बहस की गयी। जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 23.01.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत कुर्रे कायमी ऐतराज स्वीकार किया गया व तहसीलदार तिजारा को पुनः कुर्रे कायमी नियमानुसार बनाकर पेश करने हेतु आदेश दिये। न्यायालय द्वारा अपने सुविधानुसार तारीख पेशी नियत की गयी है। सभी तारीख पेशीयो पर मामूरा का अधिवक्ता उपस्थित रहा है, और उनकी भी सहमति से तारीख पेशी नियत की गयी है। वर्तमान में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नही किये गये है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी वकील द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ पर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा से जवाब तलब किया गया। तहत अदालत ने जर्ये पत्राक 2113 दिनाक 02.07.2024 के द्वारा बिन्दूवार जवाब पेश कर निवेदन किया है, कि विचाराधीन राजस्व वाद में तहसीलदार तिजारा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी/प्रतिवादी के एतराज होने पर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना कानूनी प्रक्रिया है। न्यायालय में विचाराधीन पत्रावलीयो मे तारीख पेशी नियत करना न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया है, जो सरे इजलास नियत की जाती है। शेष तथ्य मनगढंत है। यदि वाद को

सुनवाई हेतु अन्य राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो इस न्यायालय को कोई ऐंतराज/आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल के साथ संलग्न दस्तावेज/वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से जाहिर है, कि तहत अदालत के समक्ष अप्रार्थी जाकिर वगै0 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आराजी खसरा न0 475 रकबा 0.48 है0, 476 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम थौंस तहसील तिजारा के बाबत पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार तिजारा से कुर्रे रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार तिजारा ने जर्ये पत्राक 4215 दिनाक 22.09.2023 को रिपोर्ट पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट पर वादी द्वारा एतराज व्यक्त किये जाने पर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गयी। पत्रावली में वकुलाय की बहस सुनी जाकर दिनाक 23.01.2024 को प्रार्थना पत्र कुरे ऐंतराज स्वीकार किया गया है। प्रकरण में एंतराज होने पर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना विधिक प्रावधान है। तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानुसार विधिवत कार्यवाही की गयी है। इससे स्पष्ट हे, कि प्रार्थी उक्त प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)